

तृतीय अनुपूरक अनुमान 2017-18 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
122	अधीक्षण	13000000
1026	खजाना स्थापना	100 *
1352	चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर	137000000
1400	विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना	10000000
1473	जिला चिकित्सालय	70000000
2020	नगर और ग्राम निवेश	47750000
2249	नहरें	1300000
2456	न्यायिकेतर स्टाम्प की लागत	70000000
2457	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	100 *
2898	बांध तथा संलग्न कार्य	200 *
3255	विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान	3100000
3282	मंत्रियों का वेतन	9500000
3556	मुख्यालय स्थापना यूनिट - एक	100 *
3566	मुख्यालय स्थापना	200 *
3569	मुख्यालय स्थापना व्यय	21080000
3673	राज्य छात्रवृत्तियां	241730000
3680	राज्य मुख्यालय	100 *
3855	लोक निर्माण कार्य - भवन	100 *
4007	विधान सभा	2000000
4327	सचिवालय	974100
4491	सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	50000100
4497	सामान्य स्थापना	3000000
4843	अधो संरचना विकास निगम	50000000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 1

तृतीय अनुपूरक अनुमान 2017-18 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान (रूपये में)	
5026	छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि हेतु आर्थिक सहायता / अनुदान	250000000
5049	राज्य विधान मण्डल	200 *
5437	राज्य प्रदत्त पुरस्कार	5000000
5451	अंशपूजी सहायता योजना	12500000
5527	संस्कृत बोर्ड का गठन	800000
5601	बस्तर विकास प्राधिकरण	32500000
5602	सरगुजा / जशपुर विकास प्राधिकरण	30000000
5616	गिरौदपुरी एवं भंडारपुरी का समन्वित विकास	5000000
5631	अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण	18197000
573	उच्च न्यायालय (भारत)	5000000
5753	समारोह हेतु अनुदान	50655000
6003	मुख्यालय की स्थापना	100 *
6262	राज्य निर्वाचन आयोग	1200000
6728	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	850000000
6757	बाढ़ नियंत्रण योजनाएं	100 *
6758	कृषि पंपो का ऊर्जाकरण	600000000
6960	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	550600000
6968	चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर	5800000
6974	बिलासपुर द्वितीय चरण जल प्रदाय योजना	100 *
7396	मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुदान	16500000
7433	छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेव्हलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट फेस- II	300 *
7438	स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन	100 *
7475	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	300 *

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 2

तृतीय अनुपूरक अनुमान 2017-18 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
7479	छत्तीसगढ़ सदन, नई दिल्ली	100 *
7490	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	340727000
7491	निःशक्त जनो को बाधा रहित सुविधाओं का विकास	1500000
7610	स्वच्छ भारत अभियान	1250000000
7620	उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी	2851600000
7629	अनुसूचित जाति के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ	36740000
7693	सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान	503700000
7710	फसल क्षति हेतु सहायता	6750000000
7714	राज्य मुख्यालय, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं	100 *
7715	नियंत्रण कक्ष, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं	100 *
7716	मैदानी कार्यालय, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं	100 *
7717	प्रशिक्षण केन्द्र, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं	100 *
7718	आपातकालीन सेवाएं	100 *
7785	पूँजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता	150000000
7807	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	3840000000
7810	छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग	100 *
7873	विशिष्ट पहचान (आधार) परियोजना	100 *
7879	महिला पुलिस स्वयं सेवक योजना	200 *
7881	विपणन संघ को वापसी	3145050
7882	प्राइस मानिट्रिंग सेल	718484
798	कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	900 *
8018	प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायो को अनुदान	2682000000
8050	छात्रवृत्तियां	36600000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 3

तृतीय अनुपूरक अनुमान 2017-18 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
8545	नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	5000000
8555	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण	10000000
8919	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	19749071
8922	मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना	24000000
8938	चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय राजनांदगांव	18677160
8939	चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव	1034000000
8940	चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय सरगुजा	52100100
8941	चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा	100 *
8965	मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना	400000000
9005	इमारतों का अनुरक्षण लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत	200 *
9068	औद्योगिक इकाइयों को लागत पूंजी अनुदान	300000000
9261	अन्य व्यय	11911000
योग		23486358365

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 4